<u>प्रेस नोट</u>

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के आदेशानुसार श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय (दक्षिणी) के पर्यवेक्षण एंव क्षेत्राधिकारी बाँसगाँव के कुशल निर्देशन में दिनांक 02/08/2019 को चौकी प्रभारी नौसढ़ उ0नि0 श्रीभागवत चौधरी मय हमराह पुलिस फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में मामूर थे कि जरिए सूचना मुखबीर मिली कि ग्राम सरयां के बेचन गुप्ता के घर पर अवैध कच्ची शराब बनाने के सामान भारी संख्या में भंडारण एवं अवैध कच्ची शराब तथा जो वाहन से परिवहन कर लाया जा रहा है, इस सूचना से प्र0नि0 संतोष कुमार सिंह को अवगत कराते हुए महोदय द्वारा तहसीलदार महोदय सहजनवाँ श्री लालजी विश्वकर्मा को अवगत कराया गया साथ ही आबकारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार त्रिपाठी सेक्टर-2 व आबकारी निरीक्षक अरविन्द कुमार मिश्रा सेक्टर-1 को अवगत कराते हुए बेचन गुप्ता के घर मजिस्ट्रेट महोदय के उपस्थिति में कार्यवाही को करते हुए अभियुक्त बेचन गुप्ता पुत्र स्व0 रामकिशुन गुप्ता साकिन सरयां थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर व उसका पुत्र विद्यासागर गुप्ता दोनो मिल कर इस अवैध शराब बनाने के सामान गुड़, महुआ, नौसादर का ज्यादे मात्रा में भंडारण अपने घर में किये हुए थे एवं अपमिश्रित शराब बरामद हुयी, साथ ही अपने ग्राम के पंचायत भवन के एक कमरे में भी चोरी छिपे दो-तीन में भी भंडारण का काम कर रहे थेये सारा कामअपने निजी खुद के वाहन सं0 UP 53 J 1178 के द्वारा परिवहन कर लाये जाते हैं, जिससे ये अवैध काम कर आर्थिक लाभ का अर्जन करतें है।उक्त भंडारण सामान को मौके पर पुलिस कब्जा में लेते हुए सामानों का भंडारण ज्यादा होने के फलस्वरुप उसी गांव के जनता के गवाहों के समक्ष माल को उसी घर में सील किया गया एवं अभियुक्तगण उपरोक्त को समय करीब 23.55 बजे गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। मौके पर बरामद माल गुड़ 1137.05 कुन्तल, महुआ 75 कुन्तल, नौसादर 1.5 कुन्तल, प्लास्टिक की मजबूत पन्नी लहन बनाने में प्रयुक्त होने वाली दो हजार मीटर व 20 ली0 पानी के जार में व कोल्ड ड्रिंक के दो-दो ली0 वाले बोतल में कच्ची शराब बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 271 /19 धारा 60,63,72 आवकारी अधिनियम व 272 भादवि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नामः-

1. बेचन गुप्ता पुत्र स्व0 रामकिशुन गुप्ता निवासी सरयां थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर
2. विद्यासागर गुप्ता पुत्र बेचन गुप्ता निवासी सरयां थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 271/19 धारा 60,63,72 आवकारी अधिनियम व 272 भादवि0

<u>गिरफ्तार करने का स्थान व दिनांक</u>

बहद ग्राम सरयां थाना बेलीपार गोरखपुर। दिनांक 02/08/2019 समय 23.55 बजे

<u>बरामदगीः</u>

1. 1137.5 कुन्तल गुड़ अनुमानित मूल्यः- 3979500 रु0
2. 75 कुंतल महुआ अनुमानित मूल्यः- 120000 रु0
3. 1.5 नौसादरअनुमानित मूल्यः- 4000.00
4. 2000 मीटर प्लास्टिक की मजबूत पन्नीअनुमानित मूल्यः 10000 रु0
5. 24 ली0 अवैध कच्ची शराब
6. दो बड़े तराजू
7. पिकप गाड़ीवाहन सं0 UP 53 J 1178

कुल बरामद माल का अनुमानित मूल्यः- 4113500 रु0

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- श्री लालजी विश्वकर्मा, तहसीलदार सहजनवां, गोरखपुर।
2- प्र0नि0 संतोष कुमार सिंह थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।
3- उ0नि0 श्रीभागवत चौधरी चौकी प्रभारी चौकी नौसड़ थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।
4- उ0नि0 सी0बी0 पाण्डेय, थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।
5- उ0नि0 अजीत चतुर्वेदी,थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।
6- उ0नि0 रविसेन यादव,थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।
7- हे0का0 शिवनाथ मिश्र,थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।
8- का0 पशुराम मिश्र, थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।
9- का0 अजीत सिंह,थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।
10- का0 राघव कुमार ,थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।
11- का0 सुनील कुमार यादव,थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।
12- का0 सुरेन्द्र चौहान, थाना बेलीपार, जनपद गोरखपुर।